

अध्याय V: वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय

एमएमटीसी लिमिटेड और पीईसी लिमिटेड

5.1 वित्तीय समझदारी की कमी के कारण निधियों का अवरोधन

नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) पर व्यापार करते समय वित्तीय समझदारी की कमी के कारण ₹ 341.72 करोड़ राशि की निधियों का अवरोधन हुआ।

एमएमटीसी लिमिटेड और पीईसी लिमिटेड (कम्पनियाँ) क्रमशः मई 2011 और दिसम्बर 2010 से नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) मुम्बई के व्यापारिक सदस्य थे। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) ने दिनांक 05 जून 2007 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा अग्रेषित संविदा (विनिमय) अधिनियम, 1952 के तहत प्रावधानों के परिचालन से एनएसईएल पर प्रतिभूति की बिक्री और खरीद के लिए एक दिन की अवधि की आगामी संविदाओं से छूट दे दिया बशर्ते कि विनिमय के सदस्यों द्वारा कोई कम बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। एनएसईएल उपभोगी वस्तुओं की मौलिक सुपुर्दगी के साथ कृषि उपयोगी वस्तुओं की खरीद और बिक्री के लिए स्पॉट संविदा का प्रस्ताव दिया जिसे क्रमशः T+2 और T+25 दिनों पर निर्धारित किया। एमएमटीसी और पीईसी दोनों ने शुरू में क्रमशः ₹ 10 करोड़ और ₹ 50 करोड़ के व्यापार और दालों का व्यापार करने पर वित्तीय सीमा प्रतिबंध लगा दिया। एक वर्ष की अवधि के दौरान दोनों कम्पनियों ने विविध उत्पादों यथा धान, खाद्य तेलों, गेहूँ आदि के व्यापार प्रारंभ कर दिया। दोनों कम्पनियों द्वारा समग्र व्यापार सीमा ₹ 250 करोड़ तक बढ़ा दिया गया था। एमएमटीसी और पीईसी ने क्रमशः 26 जुलाई 2013 और 25 जुलाई 2013 तक एनएसईएल पर व्यापार जारी रखा।

उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2013 के पत्र द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में एनएसईएल ने दिनांक 23 जुलाई 2013 से प्रभावी व्यापारों के निर्धारण प्रक्रियाओं में परिवर्तन कर दिया। एनएसईएल द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2013 को जारी परिपत्र के परिवर्तित प्रक्रिया के अनुसार अब तक सुपुर्दगी और 11 दिनों के बाद

भुगतान द्वारा निर्धारित किए जा रहे सभी संविदाओं को 'T+10' दिनों के आधार पर 23 जुलाई से निपटाया जाना था। तत्पश्चात एनएसईएल पर व्यापार में कटौती के कारण दायित्वों में भिन्नता थी जिसके परिणामस्वरूप इसने व्यापार स्थगित कर दिया (31 जुलाई 2013) और सभी एक दिवसीय आगामी संविदाओं को स्थगित कर दिया।

26 जून 2013 से 26 जुलाई 2013 की अवधि के व्यापार के लिए एमएमटीसी द्वारा एनएसईएल से ₹ 218.53 करोड़ की राशि की अभी भी वसूली की जानी थी जबकि पीईसी को 25 जून 2013 और 25 जुलाई 2013 के बीच होने वाले लेनदेनों के लिए एनएसईएल से ₹ 123.19 करोड़ की वसूली करनी थी (नवम्बर 2013)। एक्सचेंज पर व्यापार प्रथा के अनुसार क्रय भुगतानों और विक्रय वसूली के बीच समयांतराल के कारण राशि की वसूली की जानी थी। एनएसईएल अगस्त 2013 से दोनों कम्पनियों को इसके बकाए का भुगतान करने में लगातार चूक गई ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दोनों कम्पनियों की एनएसईएल के साथ व्यापारिक सौदे निम्नलिखित कमजोरियों और कमियों के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुए थे :

- कम्पनियाँ एनएसईएल पर व्यापार और सौदे कर रही थी जो निवेश/वित्तीय माध्यम के अन्तर्गत एक स्पॉट एक्सचेंज था जहां माल की किसी प्रभावी सुपुर्दगी की मांग नहीं की गई थी।
- एनएसईएल पर अपना व्यापार शुरू करने के एक वर्ष के भीतर कम्पनियों ने किसी कार्यात्मक ड्रिल या मानक संचालन प्रक्रिया के बिना अपनी वित्तीय प्रकटन सीमा 5-25 गुना बढ़ा दिया। तत्पश्चात एमएमटीसी ने एनएसईएल पर कृषि उत्पादों का व्यापार करने के लिए 30.11.2012 को अपना कार्यात्मक ड्रिल तैयार किया।
- एनएसईएल में मालगोदामों के भौतिक सत्यापन के लिए व्यापार शुरू करने के 18 महीने बाद दिसम्बर 2012 में एमएमटीसी द्वारा निर्देश जारी किए गए थे जबकि पीईसी ने किसी भी उपयोगी वस्तुओं का भौतिक सत्यापन नहीं किया।
- एनएसईएल के साथ लेनदेन करते समय कोई जोखिम बीमा समीक्षा नहीं की गई। परिणामस्वरूप, एनएसईएल पर बेची गई उपयोगी वस्तुओं के लिए कोई बीमा कवर नहीं लिया गया।

- कम्पनी ने जिससे वे व्यापार कर रहे थे, से दूसरे पक्ष का विवरण सुनिश्चित करने का प्रयास नहीं किया।
- उपयोगी वस्तुओं की खरीद के प्रति दूसरे पक्ष से अथवा एनएसईएल से टाइटल का दस्तावेज भी नहीं प्राप्त हुआ।

लेखापरीक्षा आपत्तियों पर कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित टिप्पणियाँ (एमएमटीसी- नवम्बर 2013 और पीईसी-जनवरी 2014) निम्न प्रकार से थे:

- एमएमटीसी ने उत्तर दिया कि सुपुर्दगी और भुगतान कार्यक्रम के लिए एनएसईएल प्रति गारंटर थी। इसी प्रकार पीईसी ने उत्तर दिया कि गैर निपटान वाले क्रय के लिए उन्हें मालगोदाम रसीद संख्या, भार और मालगोदाम का स्थान दर्शाते हुए सुपुर्दगी आबंटन किया गया था जिसमें दर्शाया गया था कि भौतिक माल द्वारा व्यापार दुबारा शुरू हुआ और पीईसी की बिक्री देयताओं को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जा सकता था।
- एनएसईएल पर व्यापार करने के लिए वित्तीय प्रकटन सीमा बाजार में उपलब्ध आगामी जोखिम मुक्त विवाचन अवसर के लिए चरणबद्ध तरीके से बढ़ा दिया गया था।
- एमएमटीसी ने माना कि मालगोदाम के मासिक निरीक्षण के लिए दिसम्बर 2012 में निर्देश जारी किए गए थे जबकि पीईसी ने बताया कि उपयोगी वस्तुओं और मालगोदाम का प्रबंधन हमेशा एनएसईएल की जिम्मेदारी और कार्यक्षेत्र के भीतर आते थे।
- कम्पनियों ने आश्वासन दिया था कि उपयोगी वस्तुओं की बीमा पहले ही एनएसईएल द्वारा की गई थी और जालीकरण रोकने के लिए उन्होंने उपयोगी वस्तुओं का बीमा नहीं कराया गया।
- सुपुर्दगी और भुगतान निपटान के लिए एनएसईएल काउंटर पार्टि/काउंटर गारटर थी और उन्हें पता नहीं था कि कौन उनकी काउंटर पार्टियाँ थी।

कम्पनियों का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि:

- मातहत मालों के स्वामित्व समर्थन दस्तावेज के बिना क्रय और विक्रय साथ साथ हो रहे थे। संविक्षाओं में शामिल मालों के स्वामित्व के दस्तावेजों की वास्तविक

निविदाकरण का अभाव था, यद्यपि प्रत्येक क्रय और विक्रय लेनदेन व्यापार दर के आधार पर निपटाए जाने थे, इसके परिणामस्वरूप निपटान प्रक्रिया पर एनएसईएल के नियम और शर्तों के अनुसार अनिवार्य सुपुर्दगी हुई। ऐसे सुपुर्दगी का तर्क कम्पनियों द्वारा स्टॉक के भैतिक सत्यापन की आवश्यकता होगा।

- किसी जोखिम विश्लेषण के बिना समय के कम अंतराल के भीतर वित्तीय प्रकटन सीमा को 5-25 गुना बढ़ाना सामान्य वित्तीय समझदारी के विपरीत था।
- कम्पनियों ने न तो एनएसईएल पर उनके द्वारा व्यापार की गई उपयोगी वस्तुओं के लिए कोई बीमा कवर लिया न ही एनएसईएल द्वारा की गई बीमा की प्रति की मांग की। यह केवल चूक के बाद हुआ कि कम्पनियों ने निपटाए गए व्यापार के बीमा दस्तावेजों के लिए एक्सचेंज का अनुरोध किया।
- कम्पनियों ने काउंटर पार्टियों का विवरण सुनिश्चित करने का कभी प्रयास नहीं किया जिनके साथ वह व्यापार कर रही थी। काउंटर पार्टियों के एक स्वतंत्र और विश्वसनीय मूल्यांकन की आवश्यकता थी।

उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कम्पियों के बावजूद भी एनएसईएल पर एमएमटीसी और पीईसी ने व्यापार जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप दो कम्पनियों के ₹ 341.72 करोड़ का अवरोधन हुआ। इतनी सारी घटनाओं से इसकी वसूली दुर्गम प्रतीत होती है।

मामले को दिसम्बर 2013 में मंत्रालय को सूचित किया गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।

द स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

5.2 लाभ का अनाधिकृत स्थानान्तरण

कम्पनी के हित की सुरक्षा में विफलता के कारण आगामी संविदाओं के रद्द करने पर सहयोगियों को ₹ 31.94 करोड़ के लाभ का अनाधिकृत स्थानान्तरण हुआ।

दि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वेंडरों (आपूर्तिकर्ताओं) से अपने सहयोगियों के लिए सोना चाँदी आयात करता

है। सोने चाँदी के कारोबार के अन्तर्गत एक योजना 'क्रेडिट योजना का 90 दिनों का मियादी पत्र' है। इसके लिए कम्पनी द्वारा दिए गए मांगपत्र में बताई गई मात्रा के आयात के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता से प्रोफार्मा इंवाइस की प्राप्ति के पश्चात् विदेशी आपूर्तिकर्ता के पक्ष में कम्पनी द्वारा क्रेडिट पत्र (एलसी) शुरू करने की आवश्यकता है।

आगामी संविदायें (एफसीज) विदेशी विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव के प्रति बचाव के लिए हैं। व्यापारिक प्रथा के अनुसार एफसीज सोने चाँदी के आयात के संबंध में देयता परिणति (अर्थात्, प्रोफार्मा इंवाइस के अनुसार प्रेषण तिथि पर बकाया धनराशि) के पश्चात् ही लिए जाते हैं। केवल एलसीज की शुरुआत के पश्चात् ही कम्पनी द्वारा एलसी मूल्य और एलसी परिपक्वता तिथि के आधार पर विदेशी आपूर्तिकर्ता पर एफसीज लिए जाते हैं।

सोने का आयात कोलकाता में स्थित कम्पनी के शाखा कार्यालय और कम्पनी की सहयोगी मै. लिचेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड (एलएमपीएल) के बीच दिनांक 31 जनवरी 2011 के करार द्वारा शासित होता है। प्रोफार्मा इंवाइस की प्राप्ति के पश्चात् शुरुआती एलसीज की व्यापारिक प्रथा को कथित करार के क्लॉज 5 में दोहराया गया था। मै. एलएमपीएल ने 'मियाद एलसी/स्टैंडबाय एलसी आधार' पर 2000 किग्रा शुल्कमुक्त सोने के आयात के लिए कम्पनी पर दिनांक 25 जुलाई 2011 को एक आर्डर दिया। तदनुसार, कम्पनी ने 30 अप्रैल 2012 तक की सुपुर्दगी अवधि के साथ अपने विदेशी आपूर्तिकर्ता अर्थात् मै. नैटिक्सिस कमोडिटी मार्केट्स लिमिटेड (एनसीएमएल) और मै. एमकेएस फाइनेंस (एमकेएसएफ) को क्रमशः 25 और 26 जुलाई 2011 को प्रत्येक को 1000 किग्रा का आदेश दिया। कम्पनी ने एसबीआई से 26 जुलाई 2011 को 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर (10 जुलाई 2012 से 13 जुलाई 2012 तक प्रेषण की तिथियाँ) में तथा 27 जुलाई 2011 को 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर (16 जुलाई 2012 से 26 जुलाई 2012 तक प्रेषण की तिथियाँ) में एफसीज खरीदा। 26 व 27 जुलाई 2011 को मै. एलएमपीएल द्वारा उपरोक्त उल्लिखित एफसीज की खरीद की इस शर्त पर पुष्टि की गई कि एफसीज की बिक्री पर लाभ/हानि उनके खाते में होगा।

मै. एलएमपीएल ने 25 सितम्बर 2011 को एफसीज से संबंधित बुकिंग और कथित मांग रद्द कर दिया। तदनुसार, कम्पनी के कोलकाता शाखा कार्यालय ने इस आधार पर 26 सितम्बर 2011 को विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ अपनी माँग रद्द कर दिया कि कम्पनी

2014 की प्रतिवेदन संख्या 13

ने 2000 किग्रा. शुल्कमुक्त सोने की कथित मात्रा के आयात की पहले ही व्यवस्था कर लिया है। कोलकाता के शाखा कार्यालय ने एसबीआई को यह सूचित करते हुए एफसीज़ रद्द कर दिया (26 सितम्बर 2011) कि इसने कथित सोना पहले ही आयात कर लिया था। एफसीज़ को रद्द करने के लिए रद्दीकरण दर और बुकिंग दर के बीच अंतर दर्शाते हुए ₹ 35.73 करोड़ का लाभ हुआ जैसा कि तालिका में नीचे दर्शाया गया है:

संदर्भ संख्या	मुद्रा	राशि (₹ लाख में)	बुकिंग दर	रद्दीकरण दर	कुल लाभ	पास्ड आन लाभ	फ्लूट मूल्य	जेवी संख्या
0999811 एफएस 0000444	अमेरिकी डालर	40	46.4025	50.0470	145,78,000	13034645	1543355	2838
0999811 एफएस 0000443	अमेरिकी डालर	40	46.4000	50.0470	145,88,000	13043586	1544414	2839
0999811 एफएस 0000449	अमेरिकी डालर	80	46.3925	50.0570	293,16,000	26155646	3160354	2840
0999811 एफएस 0000448	अमेरिकी डालर	80	46.3975	50.0520	292,36,000	26112514	3123486	2841
0999811 एफएस 0000447	अमेरिकी डालर	80	46.4150	50.0495	290,76,000	25978985	3097015	2842
0999811 एफएस 0000452	अमेरिकी डालर	40	46.4075	50.0620	146,18,000	13028043	1589957	2843
0999811 एफएस 0000451	अमेरिकी डालर	80	46.4025	50.0595	292,56,000	26083305	3172695	2844
0999811	अमेरिकी	80	46.3975	50.0595	292,96,000	26128381	3167619	2845

2014 की प्रतिवेदन संख्या 13

एफएस 0000450	डालर							
0999811 एफएस 0000435	अमेरिकी डालर	80	46.6275	50.0395	272,96,000	24450378	2845622	2861
0999811 एफएस 0000434	अमेरिकी डालर	80	46.6225	50.0370	273,16,000	24477153	2838847	2862
0999811 एफएस 0000433	अमेरिकी डालर	80	46.6175	50.0345	273,36,000	24503948	2832052	2863
0999811 एफएस 0000442	अमेरिकी डालर	40	46.3950	50.0445	145,98,000	13057245	1540755	2864
0999811 एफएस 0000441	अमेरिकी डालर	40	46.3925	50.0445	146,08,000	13066190	1541810	2865
0999811 एफएस 0000436	अमेरिकी डालर	80	46.6575	50.0395	270,56,000	24226628	2829372	2866
0999811 एफएस 0000445	अमेरिकी डालर	40	46.4075	50.0495	145,68,000	13020998	1547002	2867
0999811 एफएस 0000446	अमेरिकी डालर	40	46.4100	50.0495	145,58,000	13012060	1545940	2868
कुल		100			35,73,00,000	319379705	37920295	

पास्ड ऑन प्रॉफिट ₹ 319379705 घटा ₹ 12000 रद्दीकरण प्रभार=28.9.2011 को क्रेडिट किया गया
₹ 319367705

एसबीआई ने एफसीज़ पर मार्जिन और प्रीमियम के लिए ₹ 3.79 करोड़ की कटौती की और कम्पनी को ₹ 31.94 करोड़ का क्रेडिट दिया। यह कथित राशि कम्पनी द्वारा मै; एलएमपीएल को स्थानांतरित की गई थी।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि उपरोक्त कथित एफसीज़ की बुकिंग और कम्पनी के कोलकाता शाखा कार्यालय द्वारा मै. एलएमपीएल को ₹31.94 करोड़ का लाभ स्थानांतरित करने में निम्नलिखित अनियमितताये हुईं:

- (i) दिनांक 25 जुलाई 2011 की माँग को संसाधित नहीं किया जा सका क्योंकि एलएमपीएल ने आदेश समाप्त कर दिया। चूंकि मै; एलएमपीएल की ओर से चूक के कारण कभी लेनदेन नहीं किया गया था, मै. एलएमपीएल को एफसीज़ के लिए ₹ 31.94 करोड़ के लाभ का स्थानांतरण अनुचित और प्रश्नगत था।
- (ii) शाखा कार्यालय, कोलकाता ने 2000 किग्रा सोने की मांग रद्द करने के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ-साथ एफसीज़ को रद्द करने के लिए एसबीआई को गलत जानकारी दी। उपलब्ध अभिलेख एलएमपीएल के लिए 25 जुलाई 2011 की माँग के प्रति 2000 किग्रा. सोने के आयात का समर्थन नहीं किया।
- (iii) मै. एलएमपीएल के साथ संविदात्मक करार के क्लॉज 5 में प्रोफार्मा इंवाइस की प्राप्ति के बाद एलसीज़ की शुरुआत करने का प्रावधान है। विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से प्रोफार्मा इंवाइस प्राप्त नहीं करने पर शुल्कमुक्त 2000 किलोग्राम सोना की खरीद के लिए देयता का गैर क्रिस्टलीकरण हुआ। देयता के गैर क्रिस्टलीकरण के बावजूद शाखा कार्यालय, कोलकाता ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर में एफसीज़ खरीदने को तरजीह दिया।

कम्पनी मै. एलएमपीएल को एफसीज़ रद्द करने पर ₹ 31.94 करोड़ के लाभ के अनुचित रूप से स्थानान्तरण पर लेखापरीक्षा आपत्तियों पर निम्नलिखित आधार पर सहमत नहीं हुईं:

- (i) आरबीआई के दिनांक 15.12.2011 के परिपत्र से पहले एफसी की बुकिंग के पश्चात् प्रोफार्मा इंवायस प्रस्तुत किया जा सकता था। इस प्रकार, प्रोफार्मा इंवाइस की प्राप्ति से पहले एफसीज़ बुक किया जा सकता था।

- (ii) सहयोगियों से विशेष अनुरोध पर एफसीज़ लिए गए थे और सभी लागत/आकस्मिक व्यय सहयोगियों द्वारा सृजित की जानी थी। एसटीसी को लेनदेन की समाप्ति पर केवल एक निश्चित मार्जिन लेना था।
- (iii) दिनांक 26 जुलाई 2011 और 27 जुलाई 2011 के पत्र द्वारा सहयोगी ने पुष्टि की कि आगामी खरीद पर विनिमय लाभ/हानि इसके अपने खाते पर होगा। चूंकि सहयोगी के निर्देश पर काम किया गया, यह करार का हिस्सा था।
- (iv) सहयोगी से प्राप्त ठेके के रद्दीकरण का कारण विदेशी आपूर्तिकर्ताओं और एसबीआई को सूचित किया गया था।

निम्नलिखित के मद्देनजर उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- प्रोफार्मा इंवाइसेज़ के अभाव में एफसीज़ में दर्शाया गया मूल्य और नीतियाँ इस प्रकार निराधार और काल्पनिक थीं। इसके अतिरिक्त दिनांक 31 जनवरी 2011 के करार में मै. एलएमपीएल द्वारा माँगी गई मात्रा को रद्द करने का प्रावधान नहीं था। इसमें रोक प्रतिबंध शर्तों यदि सोने के आयात पर सरकार द्वारा कोई आरोपित की जाती हैं, के लिए माँगी गई मात्रा को रद्द करने के लिए केवल एसटीसी के लिए एक विकल्प का प्रावधान है, इस प्रकार एलएमपीएल द्वारा आदेश को रद्द करना तथा तत्पश्चात एफसी को रद्द करना अनियमित था। इस प्रकार आपूर्तिकर्ता से प्रोफार्मा इंवाइस प्राप्त करने में विफल होना और उसके बाद माँग को रद्द करना और कवर को आगे बढ़ाना औचित्यपूर्ण नहीं था।
- मै. एलएमपीएल के आगामी खरीद के लाभ/हानि के उनके लेखांकन से संबंधित पत्र का संदर्भ देते हुए कम्पनी का औचित्य अप्रासंगिक है और दिनांक 31 जनवरी 2011 के करार के बाहर है। इसी तरह मै. एलएमपीएल के माँग के अनियमित रद्दीकरण के परिणामस्वरूप मै. एलएमपीएल को एफसीज़ के रद्दीकरण पर लाभ का प्रेषण करार की शर्तों के बाहर था।
- आदेश रद्द करते समय मै. एलएमपीएल ने रद्द करने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया जबकि कम्पनी ने ठेका रद्द करते समय विदेशी आपूर्तिकर्ता और एसबीआई को विशेष रूप से बताया कि इसने 2000 किग्रा. सोने की कथित मात्रा का पहले ही आयात कर लिया था, जो कि सत्य नहीं था।

लेनदेन, वास्तविक सोने की खरीद के बजाय काल्पनिक व्यापार को इंगित करता है। यह कम्पनी द्वारा अपने कोलकाता के शाखा कार्यालय द्वारा अपने वित्तीय हितों के साथ

2014 की प्रतिवेदन संख्या 13

सहझौता करने का भी संकेत देता है क्योंकि यह उस प्रश्न के तहत एफसीज़ में अपने लाभ व्यवहार करने में विफल रहा जिसे देयता से पहले क्रिस्टलीकृत किया गया था और इस प्रकार यह करार के बाहर था। कम्पनी का कारपोरेट कार्यालय ऐसे चूक होने से रोक सकता था यदि यह बुलियन ड्रिल/परिपत्रों के माध्यम से एफसीज़ पर प्रक्रिया बना देता।

इस प्रकार मांगपत्र के रद्द होने के बावजूद कम्पनी के लाभ को मै. एलएमपीएल को देने के कारण मै. एलएमपीएल को ₹ 31.94 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ और इस घटना में कम्पनी द्वारा राजस्व छोड़ दिया गया।

मामले को अक्टूबर 2013 में मंत्रालय को बताया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।